**अधिसूचना**

नई दिल्ली,10 नवंबर, 2015

**का. आ. 3074(अ).—**जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 4 सितंबर, 2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 1404 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश-210204" द्वारा "पुनर्वास एवं विकास हेतु केंद्र, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश (विकलांगों हेतु राहत एवं पुनर्वास" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2044 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 09.10.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2421 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश-210204" द्वारा चलायी जा रही"पुनर्वास एवं विकास हेतु केंद्र, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश (विकलांगों हेतु राहत एवं पुनर्वास" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 10.00 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित 30.00 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 264/2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)